आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Revenue and Disaster Management Department (Commissionerate of Revenue Administration)

Chief Minister's Uzhavar Pathukappu Thittam

तमिलनाडु की यह सामाजिक सुरक्षा योजना खेतिहर मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और उनके आश्रितों के लिए है। इसमें विवाह, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु और अंतिम संस्कार के लिए मदद मिलती है।

क्या मिल सकता है

पंजीकृत सदस्यों को विवाह सहायता (पुरुष को 8,000 रुपये, महिला को 10,000 रुपये), वृद्धावस्था पेंशन 1,200 रुपये मासिक, टीबी, कैंसर और किडनी रोग जैसी बीमारियों में अस्थायी अक्षमता के दौरान 1,000 रुपये मासिक, दुर्घटना में मृत्यु पर 1,00,000 रुपये, सामान्य मृत्यु पर 20,000 रुपये और अंतिम संस्कार के लिए 2,500 रुपये मिलते हैं। आश्रितों को हर साल 1,250 से 6,750 रुपये तक शिक्षा सहायता मिलती है।

किसके लिए है

तमिलनाडु के खेतिहर मजदूर, खुद खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसान और बटाईदार, जो 18 से 65 साल की उम्र में मुख्य सदस्य के रूप में पंजीकृत हों, और उनके परिवार के न कमाने वाले सदस्य आश्रित के रूप में।

मुख्य शर्तें

- खेती या उससे जुड़े काम जैसे मत्स्य पालन, डेयरी, बागवानी, रेशम कीट पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और बागान में लगे खेतिहर मजदूर शामिल हैं।
- 2.50 एकड़ तक सिंचित या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन के मालिक छोटे या सीमांत किसान जो खुद खेती करते हैं, शामिल हैं और बटाईदार भी पात्र हैं।
- मुख्य सदस्य 18 से 65 साल की उम्र में पंजीकृत होते हैं और उनके परिवार के न कमाने वाले सदस्य आश्रित के रूप में दर्ज होते हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए व्यक्ति निराश्रित, 60 साल या उससे अधिक उम्र का, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो और उसकी अचल संपत्ति 1,00,000 रुपये से अधिक न हो।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.cra.tn.gov.in/CM_UPT_t.php
आधिकारिक आवेदन: https://www.tnesevai.tn.gov.in
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-cm-uzhavar-pathukappu-thittam/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।